उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

बनाम

वर्ष

मु. नं.

आज्ञा-पत्र

वकीलान फरीकैन हाजिर बहस हेतु अवसर चाहा दिया जाता है। मिसल वास्ते बहस दिनांक 01/07/19 को पेश हो। Ri4

1/7/19 वकीलान फरीकैन हाजिर बहस हेतु अवसर चाहा दिया जाता है। मिसल वास्ते बहस दि० 26/07/19 को पेश हो। Ri4

26/7/19 वकीलान फरीकैन हाजिर बहस हेतु अवसर चाहा दिया जाता है। मिसल वास्ते बहस दि० 23/8/19 को पेश हो। Ri4

26/08/19 प्रत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/09/19 को पेश हो

12/9/19: पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/9/19 को पेश हो। Ri4

30/9/19 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों आधार आवेदकगणों के पक्ष में नहीं होने के कारण आवेदकगणों का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

दिनांक	आज्ञा-पत्र
	किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र / 43 / 2014

1. हरदयाल सिंह पुत्र सल सिंह
2. श्रीमती नन्द कंवर बेवा सल सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम दूजोद तहसील धोद जिला सीकर

–आवेदकगण

बनाम

1. दुर्गा प्रसाद पुत्र जीवनराम
2. पवन कुमार पुत्र गोपाल
3. आंची देवी बेवा गोपाल

समस्त जाति धोबी, निवासीगण ग्राम दूजोद, तहसील धोद जिला सीकर

4. उपपंजीयक, धोद
5. तहसीलदार, धोद

–अनावदेकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री विद्याधर सुण्डा, वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री राजेश चौधरी, वकील अप्रार्थीगण की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 30.09.2019

01. आवेदकगण कि ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम दूजोद, तहसील धोद जिला सीकर की तन में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 263 / 2 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा पुख्ता अवस्थित है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सीकर तहसील में किये गये नवीन सर्वे में उपर्युक्त कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 896 रकबा 1.60 हैक्टर तन दूजोद कायम किये गये है जो आवेदकगण की पैतृक कृषि भूमि है, जिस पर आवेदकगण अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर काबिज काश्त करते आ रहे है। आवेदकगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है:–

चाँदसिंह

भंवरसिंह, बालसिंह, पेपसिंह, नारायणसिंह, हनुमानसिंह, सुखसिंह

नारायणसिंह → दत्तक पुत्र सलसिंह

सलसिंह → हरदयालसिंह, नन्दकंवर (बेवा)

यह कि स्व. नारायण सिंह पुत्र चांद सिंह अविवाहित थे जिन्होंने आवेदक संख्या–1 के पिता सल सिंह पुत्र बाल सिंह को करीबन 5 वर्ष की उम्र में ही हिन्दू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार विधिवत् गोद की रस्म अदाकर गोद लिया गया था। जिनके पक्ष में स्व. नारायण सिंह ने विधिवत् गोदनामा तहरीर व तकमील कर हस्ताक्षर कर उप–पंजीयक सीकर कार्यालय में

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

दिनांक 13.03.1980 को पंजीबद्ध करवाया है। आवेदक के पिता की शिक्षा–दीक्षा व शादी विवाह स्व.नारायण सिंह ने किया है जो अपने दत्तक पिता नारायण सिंह के साथ उसकी चल व अचल सम्पत्ति पर निरन्तर निर्बाध रूप से शान्तिपूर्वक काबिज काश्त करता आ रहा है। नारायण सिंह का देहान्त दिनांक 10.05.1996 व आवेदक के पिता सल सिंह का देहान्त दिनांक 27.04.2009 को हुआ हैं। आवेदक के पिता सल सिंह के दत्तक पिता नारायण सिंह अत्यधिक शराब पीने के आदि थे जिसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसका नाजायज फायदा उठाकर अनावेदक संख्या–1 व अनावेदक संख्या –2 के पिता ने वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 263/2 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा पुख्ता तन दूजोद का एक फर्जी विक्रय पत्र बिना प्रतिफल की राशी अदा किये तहरीर व तकमील कर बाला बाला स्व. नारायण सिंह को सीकर लाकर उप–पंजीयक, सीकर के कार्यालय में दिनांक 05.11.1980 को पंजीबद्ध करा लिया। अनावेदक संख्या –2 के पिता गोपाल का देहान्त हो चुका हैं। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदकगण संख्या–1 व अनावेदकग संख्या–2 के पिता गोपाल को मौके पर कब्जा नहीं दिया गया है। आवेदक संख्या –1 के पिता सल सिंह को गोद लेने व गोदनामा उसके हक में पंजीबद्ध करवाने के बाद हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार जन्मदाता पुत्र के समान दत्तक पिता की सम्पत्ति में दत्तक पुत्र को अधिकार प्राप्त हो जाते हैं पिता को पुत्र के हक व हिस्से की भूमि को बेचने का कानूनन अधिकार नहीं हैं। स्व. नारायण को अपने दत्तक पुत्र से धारा–211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत बिना सहमति के वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचान करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर स्व. नारायण सिंह को प्रतिफल की कोई राशि अदा नहीं की हैं। कथाकथित विक्रय पत्र गलत अवैध, शून्य व प्रभावहिनहैं जिसके आधार पर अनावेदकगण को वादग्रस्त कृषि भूमि में किसी प्रकार के साम्पत्तिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं उक्त विक्रय पत्र आवेदकगण के अधिकारों के मुकाबले कल अदम व बेअसर हैं। अनावेदकगण संख्या–1 व अनावेदक संख्या–2 के पिता गोपाल ने तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अधिकारियों से साज कर नामान्तकरण संख्या–110 दिनांक 02.01.1992 भरवाकर स्वीकार करवा कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करवाया है। उक्त नामान्तकरण स्वीकार करने के पूर्व तहसीलदार सीकर ने नामान्तकरण सम्बन्धी नियमों की कोई पालना नहीं की है और वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की है। नामान्तकरण स्वीकार करने के पूर्व आवदकगण व स्व. सल सिंह दत्तक पुत्र नारायण सिंह को कोई नोटिस देकर सनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं इसलिए उक्त नामान्तकरण गलत अवैध व प्रभावहीन है। आवेदकगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक होने के कारण, अपने खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदकगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर निर्बाध रूप से शान्तिपूर्वक काबिज, काश्त करते आ रहे है, परन्तु राजस्व अभिलेख में गलत अवैध, शून्य व प्रभावहीन विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख में अनावेदकगण संख्या –1 लगायत 3 का नाम दर्ज होने के कारण वादग्रस्त कृषि भूमियों में आवेदकगण के कब्जे व काश्त में हस्तक्षेप करने लगे व कृषि भूमि की जमीनों का बाजार मूल्य बढ़ने के कारण भू–माफियों को बेचान कर उनकी मदद से बेदखल करने पर उतारू हो रहे है व अवेदकगण के खातेदारी अधिकारों को गत चार माह में चुनौती दे रहे है। आवेदकगण को बेदखल करने की कुचेष्टा में अनावेदकगण सफल हो गये तो आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति व मूल्यांकन किया जाना किसी भी प्रकार के संभव नही हो सकेगा इसलिए अनावेदकगण संख्या–1 लगायत 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया

उपखण्ड अधिकारी
सीकर

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में है। आवेदन उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद सादर प्रस्तुत है। अतः सेवामें आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तात्सफीया दावा अनावेदकगण संख्या–1 लगायत 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जावे कि वे आवेदकगण को वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 896 रकबा 1.60 हैक्टर तन दूजोद पर उनके कब्जे, काश्त में हस्तक्षेप करने, जबरन बेदखल करने, भू– माफियों को विक्रय करने से बाज रहे अनावेदक संख्या–4 विक्रय पत्र सम्बन्धी दस्तावेज को पंजीबद्ध करने से बाज रहे तथा अनावेदक संख्या–5 वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 896 के राजस्व अभिलेख की यथास्थिति कायम रखें।

02. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनावेदकगण सं. 4 व 5 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदकगण सं. 1 ता 3 की ओर से श्री राजेश चौधरी, एड. ने उपस्थित होकर जवाब आवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें उल्लेखित किया कि अनावेदक संख्या 01 व अनावेदक संख्या 2 व 3 के पिता व पति के द्वारा अनावेदकगण के पूर्वज नारायण सिंह से दिनांक 5.11.1980 को उक्त आराजियात को जरिये विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाकर क्रय किया गया था जिस पर संपूर्ण विक्रय राशि आवेदकगण के पूर्वज नारायण सिंह व सल सिंह को अदा कर दी गई थी आवेदकगण के पूर्वज नारायण सिंह द्वारा दिनांक 5.11.1980 को उक्त कृषि भूमि का विक्रय पत्र अनावेदक संख्या 1 व 2 व 3 के पति व पिता के पक्ष में निष्पादित करवाते समय आवेदक संख्या 01 के पिता व 2 के पति सल सिंह ने बतौर गवाह विक्रय पत्र हस्ताक्षर किये थे तथा सल सिंह की सहमति से ही उक्त कृषि भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया था इसलिए आवेदकगण के पिता सल सिंह व आवेदक संख्या 02 को उक्त विक्रय की जानकारी 1980 से ही है इसलिए नारायण सिह द्वारा विक्रय किये जाने में वादीगण के पिता व पति सल सिंह की पूर्ण सहमति रही है इसलिए धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। अनावेदक संख्या 01 व अनावेदक संख्या 02 के पिता गोपाल द्वारा नियमानुसार उक्त आराजियात का नामांतकरण अपने नाम तस्दीक करवाया है। आवेदकगण को उक्त विक्रय पत्र. व कब्जे काश्त अनावेदकगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में होने का ज्ञान सन 1980 से ही है इसलिए उक्त आवेदन लिमिटेशन से बाहर होने के कारण स्वतः ही खारीज किये जाने योग्य है। अतः आवेदकगण का आवेदन मय हर्जा–खर्चा खारिज किया जावे।

03. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील आवेदकगण ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को ही बहस में दोहराया तथा इसी प्रकार वकील अनावेदकगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया।

04. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि के विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि नारायणसिंह ने 10,000 रु. प्रतिफल प्राप्त करके विवादित आराजी का बेचान दुर्गाप्रसाद, गोपाल पुत्र जीवनराम जाति धोबी निवासीगण ग्राम दूजोद तहसील धोद को किया था। उक्त विक्रय पत्र में नारायणसिंह के दत्तक पुत्र सलसिंह का नाम बतौर गवाह (साक्षी) अंकित है। इससे स्पष्ट है कि उक्त विक्रय पत्र नारायणसिंह ने पूर्ण होश–हवास में प्रतिफल राशि लेकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web copy - Not Official
Scanned by CamScanner

अपने दत्तक पुत्र सलसिंह की सहमति से दुर्गाप्रसाद व गोपाल के पक्ष में निष्पादित किया है। अतः उक्त विक्रय पत्र व इसके अनुसार भरा गया नामान्तरकरण भी नियमों के अनुसार सही है, इसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या मामला आवेदकगण के पक्ष में न होकर अनावेदकगण के पक्ष में साबित है। बेचान दिनांक 05.11.1980 से ही विवादित आराजी पर अनावेदकगणों के पूर्वजों/स्वयं का कब्जा काश्त है, इसलिए सुविधा का संतुलन भी आवेदकगणों के पक्ष में न होकर अनावेदकगणों के पक्ष में है। उपर्युक्त दोनों बिंदु अनावेदकगणों के पक्ष में होने के कारण यदि विवादित भूमि पर अनावेदकगणों के विरूद्ध टी.आई. जारी की जाती है तो इससे अनावेदकगणों को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति सहित तीनों आधार आवेदकगणों के पक्ष में नहीं होने के कारण आवेदकगणों का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर शामिल दावा हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner